



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 14.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अनीस उर्फ भूरा पुत्र रहीसू निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत की कस्बा बागपत में स्थित रिहायसी भूमि 99.68 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11.35 लाख रूपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 14.08.2022 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 199/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अनीस उर्फ भूरा पुत्र रहीसू निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत की पुराना कस्बा बागपत में दादालाई रिहायसी भूमि 99.68 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11.35 लाख रूपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभियुक्त अनीस उर्फ



भूरा शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, गौवध, पशु क्रूरता, जुआ अधिनियम व गैंगस्टर आदि के 07 अभियोग दर्ज हैं।

अभियुक्त अनीस उर्फ भूरा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 751/16 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 16/17 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 700/18 धारा 147/149/307/336/504 भादवि व 7 CLA ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 309/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 326/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0सं0 327/19 धारा 270/273 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 199/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



**प्रेस नोट
थाना बडौत**

दिनांक 14-08-2022

थाना बडौत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व 03 बोतल एवं 28 कैन अवैध बीयर दिल्ली मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया



गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व 03 बोतल एवं 28 कैन अवैध बीयर दिल्ली मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राकेश पुत्र रणबीर कश्यप निवासी आर्य नगर गाँधी रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 49 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब (विभिन्न ब्रांड) दिल्ली मार्का ।
- 102 अर्ध्या अवैध अंग्रेजी शराब (विभिन्न ब्रांड) दिल्ली मार्का ।

- 92 पच्वा अवैध अंग्रेजी शराब (विभिन्न ब्रांड) दिल्ली मार्का ।
- 28 कैन अवैध बीयर (विभिन्न ब्रांड) दिल्ली मार्का ।
- 03 बोटल अवैध बीयर दिल्ली मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अमित चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- का0 583 उमेश थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- हो0गा0 372 सुनील थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- आबकारी निरी0 श्री सैय्यद वकार हैदर क्षेत्र-2 बडौत ।
- 5- प्रधान आबकारी सिपाही धीरेन्द्र सिंह क्षेत्र-2 बडौत ।
- 6- आबकारी सिपाही सिद्धार्त सोम क्षेत्र-2 बडौत ।
- 7- आबकारी सिपाही आमिर खान क्षेत्र-2 बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 14-08-2022

थाना बडौत पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त तस्क़र को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 61.800 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त (कीमत करीब 01.24 लाख रूपये) बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं डोडा तस्क़रों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 61.800 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त (कीमत करीब 01.24 लाख रूपये) बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-संजय पुत्र बाबूराम निवासी गली न0-4 मौहल्ला रेलपार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

हाल निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 41.900 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त (साबूत)।
- 19.900 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त (चुरा)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार सैनी थाना बडौत

2-उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बडौत

3-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना बडौत

4-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 14.08.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 330/2022 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दुकान से चोरी किया हुआ सामान एक रिफाइंड का टीन, सात जोड़ी चप्पल व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.08.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री बृजपाल सिंह पुत्र श्री नत्थूराम नि0 ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसकी दुकान से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 04 तेल के टीन, 5-6 रिफाइन्ड के टीन तथा सैण्डल, जूते, चप्पल आदि सामान चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 330/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 457 भादवि की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 330/2022 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से दुकान से चोरी किया हुआ सामान एक रिफाइंड का टीन, सात जोड़ी चप्पल व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जुनैद पुत्र आफताब निवासी कांशीराम कालोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. सोएब पुत्र सिराजुदीन निवासी कांशीराम कालोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 09 जोड़ी चप्पल।
- चोरी किया हुआ एक रिफाइंड का टीन सीलबन्द।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा थाना खेकड़ा बागपत।
2. है0का0 12 सतवीर सिंह थाना खेकड़ा बागपत।
3. का0 590 रवि कुमार थाना खेकड़ा बागपत।
4. का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकड़ा बागपत।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 14.08.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 332/2022 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 लोहे के गाटर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री सलीम पुत्र वकीलूदीन निवासी मौहल्ला शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के पुराने मकान में रखे गाटर चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 332/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 332/2022 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 लोहे के गाटर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

3. मौहम्मद नौमान पुत्र जफीर निवासी ग्राम पुरंदहा थाना अररिया जनपद अररिया ।
हाल पता- मौहल्ला शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी किए हुए 02 लोहे के गाटर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

5. उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह नादर थाना खेकड़ा ।
6. का0 447 पंकज कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 14.08.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 265/21 धारा
498ए/323/324/352/504/506/307 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित एक
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 265/21 धारा 498ए/323/324/352/504/506/307 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-कर्यूम पुत्र अजीज निवासी सईदनगर मकान न0 A415 थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना चांदीनगर
2. है0का0 229 चमन सिंह थाना चांदीनगर
3. का0 720 इमरान थाना चांदीनगर



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 14.08.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/2022 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 198/2022 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-जसवीर पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी गाँव शामली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री देवेन्द्र सिंह ।
- 2-का0- 1072 विनय कुमार
- 3-का0 1045 सुधीर कुमार



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 14.08.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-सारिक पुत्र वकील निवासी कसबा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।

2-का0 1064 मयंक प्रताप सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 14.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-अंकुर पुत्र रतनपाल निवासी ग्राम जिझौकर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री रजत कुमार थाना सि०अहीर

2-का० 406 रविन्द्र भाटी थाना सि०अहीर